



परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था  
(परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय, भारत सरकार)  
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

(An Autonomous Body under Department of Atomic energy, Govt. of India)  
केन्द्रीय कार्यालय, वेस्टर्न सेक्टर, पञ्चसिंह-6, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

CENTRAL OFFICE, Western Sector, AECS-6, Anushaktinagar, Mumbai – 400 094

प.ऊ.शि.सं./लेखा/पेंशन/जीवन प्रमाणपत्र/2020/  
AEES/Accts/Pension/Life Certificate/2020/

दिनांक: 21/10/2020  
Date: 21/10/2020

सेवा में,  
प.ऊ.शि.सं. के सभी पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी  
To,  
All the Pensioners & Family Pensioners of AEES.

विषय : पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र / घोषणाएं  
Sub : Certificates/Declarations to be furnished by the Pensioners /Family Pensioners

प्रिय महोदय/महोदया,  
Dear Sir/Madam,

पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी से निवेदन है कि निम्नलिखित वार्षिक प्रमाणपत्र/घोषणा पत्र दिनांक 20 दिसंबर, 2020 तक जमा करने की कृपा करें।

You are requested to submit the following yearly certificates/declaration as applicable to be submitted by the Pensioner/Family Pensioners by 20<sup>th</sup> of December, 2020.

प्रमाणपत्रों को यह कार्यालय में डाक या हाथ वितरण द्वारा जमा कराए और किसी भी बैंक में जमा न करें (प्रमाणीकरण के बाद)।

THE CERTIFICATES ARE TO BE SUBMITTED IN THIS OFFICE IN ORIGINAL BY POST/HAND DELIVERY AND DO NOT SUBMIT IN BANK (AFTER CERTIFICATION)

| क्र. सं. Sr. No. | अनुलग्नक Annexure | पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्रों का प्रकार Nature of the Certificate to be furnished by the Pensioners/ Family Pensioners | व्यक्ति जिन्हें प्रत्येक वर्ष जमा करने हैं Individuals who are required to submit every year.   |
|------------------|-------------------|---|---|
| 1.               | अ A               | जीवन प्रमाणपत्र Life Certificate  | प.ऊ.शि.सं. के सभी पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी All Pensioners / Family Pensioners of AEES   |
| 2.               | ब B               | गैर नियोजन/पुनर्नियोजन Non Employment/Re-Employment   | प्रमाणपत्र-बी केवल वर्ग "ए" अधिकारियों और भूतपूर्व-कर्मचारियों/ भूतपूर्व-पेंशनभोगियों के पुत्रों और अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। Certificate-B is to be furnished only by retired Group "A" Officers and sons & unmarried/divorced/widowed daughters of ex-employees/ex-pensioners who are drawing family pension) |
| 3.               | क C               | पुनर्विवाह/अविवाहित/विवाहित प्रमाणपत्र Certificate of RE-MARRIAGE / NON-RE-MARRIAGE / MARRIAGE  | प.ऊ.शि.सं. के केवल परिवार पेंशनभोगी/ Only Family Pensioners of AEES   |
| 4.               | ड D               | चिकित्सा भत्ते के लिए घोषणा Declaration for Medical Allowance   | पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी जो ₹ 1,000/- मासिक का निश्चित चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं Those Pensioners/Family Pensioners who are drawing Fixed Medical Allowance @ ₹ 1,000/- per month.  |

....2/-

पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए नियमानुसार इन संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति सांविधिक आवश्यकता है। आपके लिए लागू प्रमाणपत्र का प्रमाणीकरण केवल भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक/परमाणु उर्जा केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य/भारत के केंद्र एवं राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी से ही कराएँ। यदि आप भारत देश में नहीं हैं तोह भारतीय दूतावास के अधिकारी से प्रमाणीकरण कराएँ और इस कार्यालय को मूल कॉपी दिनांक 20 दिसंबर, 2020 से पहले जमा करें।

The submission of these certificates is a statutory requirement as per rule for drawal of Pension/Family pension. The certificates as applicable in your case should be certified by Branch Manager of State Bank of India/Principal of Atomic Energy Central Schools/Gazetted Officer of Central or State Government of India only. If you are residing outside of India, the certification can be taken from the authorities of Indian Embassy and should be submitted to this office by 20<sup>th</sup> December, 2020 in original.

प्रारूपों को हर साल संशोधित किया जाता है, इस लिए नवीनतम प्रारूपों को प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट से हर साल नवंबर माह में हर साल डाउनलोड करें।

The formats are being updated every year and therefore, latest formats are to be downloaded from the AEES website in NOVEMBER month, every year.

धन्यवाद/Thanking you,

भवदीय/Yours faithfully,



(पि. रवि बाबू/P. Ravi Babu)

सहा.लेखा अधिकारी/Asst. Accounts Officer

9869464221

ई-मेल/E-mail - pension@aees.gov.in

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

Encl: as above.



**वर्ष 2020-21 के लिए जीवन प्रमाणपत्र**  
**LIFE CERTIFICATE FOR THE YEAR 2020-21**

पेंशनभोगियों का विवरण / PARTICULARS OF THE PENSIONERS

(पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी द्वारा पूर्ण किया जाए / To be completed by the Pensioner/Family Pensioner)

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगी का नाम<br>Name of the Pensioner / Family Pensioner  |  |
| 2  | पेंशन सं./परिवार पेंशन सं.<br>Pension No./ Family Pension No.  | पेंशन सं./Pension No. P - _____<br>परिवार पेंशन सं./Family Pension No. FP - _____              |
| 3  | पेंशन भुगतान आदेश संख्या एवं तारीख<br>P.P.O. Number and Date   | AEES/ _____  |
| 4  | पेंशनभोगी का बैंक खाता संख्या एवं बैंक कोड सं.<br>Pensioner's Bank Account Number & Bank Code No.                            | बैंक खाता संख्या/Bank A/C No. _____<br>बैंक कोड सं./Bank Code No. _____                        |
| 5  | बैंक का पता (पूर्ण पता पिनकोड सहित)<br>Bank Address (in full with Pin code No.)  | _____  |
| 6  | बैंक का टेलीफोन/फैक्स नं.<br>Telephone/Fax No. of the Bank   | _____  |
| 7  | पेंशनभोगी का वर्तमान पता (पूर्ण पता पिनकोड सहित)<br>Present Address of the Pensioner<br>(in full with Pin code number)       | _____  |
| 8  | टेलीफोन नं. (एस.टी.डी. कोड सहित)<br>मोबाइल नं. अनिवार्य है।<br>Telephone No. (with STD code)<br>Mobile Number is compulsory. | टेलीफोन नं./Telephone No. - _____<br>मोबाइल नं./Mobile No. - _____<br>ई-मेल/ E-mail ID - _____ |
| 9  | पैन कार्ड सं. / PAN No.  | _____  |
| 10 | आधार सं. / AADHAAR No.   | _____  |

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर / Signature of the Pensioner: \_\_\_\_\_  
दिनांक/Date: \_\_\_\_\_

**नोट/Note :**

- बैंक के माध्यम से पेंशन के मासिक भुगतान की व्यवस्था हेतु उपरोक्त सूचनाएं पूर्ण रूप में दें।  
The above information may be furnished in full to arrange monthly payment of pension through bank.
- बैंक कोड सं., शाखा का पता, पेंशनर का बैंक खाता आदि में यदि कोई परिवर्तन है तो प्रारूप भरने से पूर्व बैंक से पुष्टि कर लें तथा बैंक पासबुक की पहले पृष्ठ की कॉपी संलग्न करें।  
Changes, if any in Bank Code No., Branch address, Pensioner's Bank account etc may be confirmed from the bank before filling the format and a copy of the 1<sup>st</sup> page of the updated bank passbook may be attached.
- उपरोक्त क्रमांक 1 से 10 तक में सूचनाएं देना अनिवार्य है। Furnishing of information in respect of Sr. No. 01 to 10 above is mandatory.
- जीवन प्रमाणपत्र का प्रमाणीकरण केवल भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक/ परमाणु उर्जा केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य/परमाणु ऊर्जा विभाग/ भारत के केंद्र एवं राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी से कराएँ। यदि आप भारत देश में नहीं हैं, तो, भारतीय दूतावास के अधिकारियों से जीवन प्रमाणपत्र को प्रमाणीकरण कराएँ।  
The certification on life certificate should be obtained from Branch Manager of State Bank of India / Principal of Atomic Energy Central Schools/ Gazetted Officer of Central or State Govt only. If you are residing outside of India, the certification can be taken from the authorities of Indian Embassy.

**जीवन प्रमाणपत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन भुगतान आदेश सं. \_\_\_\_\_ धारक पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी का नाम) को देखा है और वह आज की तारीख तक जीवित है।

**LIFE CERTIFICATE**

Certified that I have seen the Pensioner / Family Pensioner Shri./Smt. \_\_\_\_\_ (Name of the Pensioner/Family Pensioner) holder of Pension Payment Order No: \_\_\_\_\_ and that he/she is alive on this date.

भारत के राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of Gazetted Officer of India \_\_\_\_\_  
नाम/Name \_\_\_\_\_  
पदनाम/Designation \_\_\_\_\_

कार्यालय मुहर/Office Seal

स्थान/Place : \_\_\_\_\_

तारीख/Date : \_\_\_\_\_

**गैर-नियोजन/पुनर्नियोजन प्रमाणपत्र वर्ष 2020-21 के लिए**  
**NON-EMPLOYMENT/RE-EMPLOYMENT CERTIFICATE FOR THE YEAR 2020-21**

(प्रमाणपत्र-बी केवल वर्ग "ए" अधिकारियों और भूतपूर्व-कर्मचारियों/भूतपूर्व-पेंशनभोगियों

के पुत्रों और अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

(Certificate-B is to be furnished only by retired Group "A" Officers and sons & unmarried/divorced/  
widowed daughters of ex-employees/ex-pensioners who are drawing family pension)

1. (ए/आ) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं नवंबर, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी सरकारी विभाग/कार्यालय, कंपनी, निगम, स्वायत्त निकाय अथवा संस्था अथवा केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित अथवा स्थानीय फंड में किसी भी क्षमता से सेवा में नहीं रहा हूँ।

I declare that I have not been serving in any capacity either in a Govt. Department/Office, Company, Corporation, autonomous body or Society or Central or State Government or Union Territory or a Local Fund during the year ended November 2020.

अथवा/OR

(बी/बी) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यालय \_\_\_\_\_ जो कि \_\_\_\_\_ सरकार का भाग/द्वारा वित्तपोषित है, में नियोजन/पुनर्नियोजन रहा हूँ और नवंबर, 2020 वर्ष को समाप्त वर्ष या कथित वर्ष के \_\_\_\_\_ माह के दौरान निम्नलिखित मासिक दर से परिलब्धियां प्राप्त की हैं:

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| (i) वेतन                             | : |
| ग्रेड वेतन                           | : |
| भत्ता (महँ.रा./अति. महँ.रा.आदि सहित) | : |

I declare that I have been employed/ re-employed in the office \_\_\_\_\_ which is a part of/financed by \_\_\_\_\_ Govt. and was in receipt of the following monthly rates of emoluments during the year ended November 2020 or during the month of \_\_\_\_\_ falling within the said year:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| (i) Pay                          | : |
| Grade Pay                        | : |
| Allowance (including DR/ADR etc) | : |

अथवा/OR

मानदेय : मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरा पुनर्नियोजन आदेश पुनर्नियोजन अवधि के दौरान मेरी पेंशन प्रास्थगन का अनुबंध करता है/नहीं करता है।

Honorarium : Further, that the orders of my re-employment do/do not stipulate my pension being held in abeyance during the re-employment period.

2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने भारत में कोई वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार नहीं किया है।

I declare that I have not accepted any commercial employment in India.

अथवा/OR

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर और इससे संबद्ध सरकार की किसी शर्त, यदि हो, का उल्लंघन किये बिना भारत में वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है।

I declare that I have accepted commercial employment in India, after obtaining previous sanction of the Central Government and none of the conditions, if any, attached there to by Government has been violated.



अथवा/OR

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त किये बिना ही भारत में वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है।

I declare that I have accepted Commercial Employment in India without obtaining the sanction of the Central Govt.

नोट : यह घोषणा सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए दिया जाना अपेक्षित है।

Note : This declaration is required to be given for a period of two years from the date of retirement.

3. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने भारत से बाहर किसी सरकार/किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी भारत सरकार सदस्य नहीं है, के तहत रोजगार स्वीकार नहीं किया है।

I declare that I have not accepted employment under a Govt. outside India/an International Organization of which the Govt. of India is not a member.

अथवा/OR

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर भारत से बाहर एक सरकार/ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी भारत सरकार सदस्य नहीं है, के तहत रोजगार स्वीकार किया है और इससे संबद्ध सरकार की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।

I declare that I have accepted any employment under a Govt. outside India/an International organization of which the Govt. of India is not a member after obtaining the previous sanction of the Central Govt. and none of the conditions attached thereto by the Government has been deviated from.

अथवा/OR

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त किये बिना भारत से बाहर एक सरकार/ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी भारत सरकार सदस्य नहीं है, के तहत रोजगार स्वीकार किया है।

I declare that I have accepted employment under a Govt. outside/Inside an International Organization of which Govt. of India is not a member, without obtaining the previous sanction of the Central Govt.

हस्ताक्षर/Signature \_\_\_\_\_

पेंशनभोगी का नाम/Name of the Pensioner \_\_\_\_\_

पेंशन/परिवार पेंशन संख्या:

Pension/Family Pension No: \_\_\_\_\_

स्थान/Place : \_\_\_\_\_

तारीख/Date : \_\_\_\_\_

पुनर्विवाह/अविवाहित/विवाहित प्रमाणपत्र वर्ष 2020-21  
Certificate of RE-MARRIAGE / NON-RE-MARRIAGE / MARRIAGE for the year 2020-21

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ और वचन देता/देती हूँ कि मैं अपने विवाह की सूचना तुरन्त पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक को दूंगा/दूंगी।

केवल परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता विदुर/विधवा के लिए लागू और केवल एक ही बार दिया जाए।

I hereby declare that I have not got re-married and I undertake to report such an event promptly to the Pension Disbursing Authority.

Applicable only for widower/widow recipient of family pension and to be furnished only once.

अथवा/OR

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ / पिछले छः माह के दौरान मेरा विवाह नहीं हुआ है।  
(विधुर और अविवाहित पुत्रियों द्वारा प्रत्येक छः माह की अवधि में मई और नवंबर माह में प्रस्तुत किया जाए)

I hereby declare that I am not married/ I have not got married during the past six months.

(To be submitted by widowers and unmarried daughters once in every six months in May and November)

हस्ताक्षर/Signature \_\_\_\_\_

पेंशनभोगी का नाम/Name of the Pensioner: \_\_\_\_\_

पेंशन सं/Pension No: \_\_\_\_\_

स्थान/Place : \_\_\_\_\_

तारीख/Date : \_\_\_\_\_

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास में उपरोक्त घोषणा सत्य है।  
I certify to the best of my knowledge and belief that the above declaration is correct.

भारत के राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of Gazetted Officer of India \_\_\_\_\_

नाम/Name \_\_\_\_\_

कार्यालय मुहर/Office Seal

पदनाम/Designation \_\_\_\_\_

स्थान/Place : \_\_\_\_\_

तारीख/Date : \_\_\_\_\_

वर्ष 2020-21 के लिए चिकित्सा भत्ते घोषणा  
DECLARATION FOR MEDICAL ALLOWANCE THE YEAR 2020-21

मैं, \_\_\_\_\_ (कार्यालय का पता)

\_\_\_\_\_ का एक  
सेवानिवृत्त कर्मचारी, घोषणा करता/करती हूँ कि मैं (पेंशन भुगतान आदेश में दर्शाया आवासीय पता)  
\_\_\_\_\_ पर रह रहा/रही हूँ और इस क्षेत्र में अं.स.स्वा.यो. या  
\_\_\_\_\_ मंत्रालय/विभाग, (जैसा भी मामला हो) द्वारा कोई तदनुरूप स्वास्थ्य योजना संचालित नहीं है  
। मैंने अं.स.स्वा.यो./अं.स्वा.से.यो. कार्ड प्राप्त नहीं किये हैं और न ही ऐसा इच्छित है और निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित किसी चिकित्सालय  
से अन्य मंत्रालयों/परमाणु ऊर्जा विभाग की अं.स.स्वा.यो./अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत बाह्य सुविधाएं प्राप्त नहीं की हैं और  
न ही ऐसा इच्छित है।

I \_\_\_\_\_ a retired employee of  
\_\_\_\_\_ (Office address)  
\_\_\_\_\_ declare that, I am  
residing at \_\_\_\_\_

(Residential address as indicated in the PPO) which area is not covered under CGHS or any corresponding Health Scheme administered by the Ministry/Department of \_\_\_\_\_, (as the case may be). I have also not obtained and do not wish to obtain a CGHS/CHSS card and avail outdoor facilities under CGHS / Contributory Health Service Scheme of other Ministries/ Department of Atomic Energy from any dispensary situated in an adjoining area.

हस्ताक्षर/Signature: \_\_\_\_\_

पेंशनभोगी का नाम/Name of the Pensioner: \_\_\_\_\_

पेंशन सं./Pension No: \_\_\_\_\_

मंजूरी आदेश सं./Sanction Order No. : \_\_\_\_\_

तारीख/Date : \_\_\_\_\_

पी.पी.ओ. सं./P.P.O. No. : \_\_\_\_\_

भारत के राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of Gazetted Officer of India \_\_\_\_\_

नाम/Name \_\_\_\_\_

कार्यालय मुहर/Office Seal

पदनाम/Designation \_\_\_\_\_

स्थान/Place : \_\_\_\_\_

तारीख/Date : \_\_\_\_\_